

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-13
संख्या-1078/छ-पु-13-2022
लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2022

कार्यालय-आदेश

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित शासकीय वादों के त्वरित निस्तारण हेतु समयान्तर्गत प्रभावी पैरवी किये जाने विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) के पत्र संख्या-06/2022/423/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2022-1/2008, दिनांक 08 जुलाई, 2022 में दिए गए निर्देशों के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में शासन/राज्य सरकार के विरुद्ध वादों के प्रभावी पैरवी करने/त्वरित निस्तारण हेतु श्री राजेश कुमार राय, विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को एतद्वारा गृह विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

नाम/पदनाम	विभाग का नाम	कार्यालय	कार्यालय दूरभाष संख्या	मोबाइल नं0	ई-मेल
श्री राजेश कुमार राय, विशेष सचिव	गृह विभाग, उ0प्र0 शासन	कक्ष सं0-515/516, पंचम तल, सी-ब्लॉक, लोक भवन, लखनऊ	2226178, 2226209	9415209507	vshomerkr@gmail.com


2- नामित नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह विभाग से संबंधित रिट याचिकाओं व अन्य विधिक कार्यवाहियों के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल संबंधित राज्य विधि अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराने व अन्य यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, ताकि मा0 न्यायालय में समय से शासन का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। नोडल अधिकारी मुकदमों के सक्रिय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे। नोडल अधिकारी द्वारा वादों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस दृष्टि से वादों का परीक्षण करना होगा कि राज्य मुकदमा नीति का अनुपालन हो रहा है और कहीं वाद दिशा विहीन तो नहीं हो गया है।

तरुण गाबा
सचिव

संख्या-1078(1)/छ-पु-13-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, सचिवद्वय, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. नोडल अधिकारी (श्री राजेश कुमार राय, विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन)।
4. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, गृह/गोपन/वीजा/सा0नि0प्र0/मानवाधिकार अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) को पत्र संख्या-06/2022/423/सात-न्याय- अनु0प्रको0/2022-1/2008, दिनांक 08 जुलाई, 2022 के संदर्भ में।
7. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ, उ0प्र0।
8. मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ।
9. गार्ड फाइल हेतु।
10. गृह विभाग के पत्र को शासन में प्रेषित कि उपर्युक्त सूचनो की भांति वेबसाइट पर अपलोड करके श्री श्री।

आज्ञा से,

(अर्जुन देव भारती)
उप सचिव